



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)  
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)



Printed at: 034 - 048 No. 2, 2nd floor

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में 'निगम' कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और रूपरेखा प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमा के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अतः निगम इस पोलिसी द्वारा कारर करता है कि अनुसूची में निर्धारित पर्वतों प्रीमियमों की विधिगत प्राप्ति होने पर और उक्त प्रीमियल स्वरूप बीमा रशिदा धारा भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालयों में, जहां इस पोलिसी के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें 46 उचित अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करे। उसका दायरा करने वालों/बातें उनमें व्यक्ति उसका/उसके एकद्वारा है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आय सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एन.द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इसके पीछे की तरफ छपी परिभाषाओं, हित-नों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रवधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पुष्कांकन जिसे पॉलिसी के अंग माना जाएगा, के दिश्याधीन होगी।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first and subsequent Premiums thereon from the said Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained therein and on the basis of the same having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree in consideration of and subject to the sum of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_) the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation on which the Policy is issued to the said person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Beneficiary having been duly ascertained and the said sum of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_) being the sum set out in the Policy Document, of the life of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured at the date of the Policy being not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy or Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms and Conditions, and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Company on this date shall be a part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:

**तालिका / SCHEDULE****शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:**

<p>तामार्थी, हितलभ जिते देय है Beneficiary to whom Benefits payable</p>	<p>बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नामितों को धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तावक (निहित होने की तिथि से पूर्व) या नीमित व्यक्ति या उसके अध्यायिनी को या बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों या प्रमाणित निष्पादकों या प्रमाणित वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उनकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। The proposer (before the vesting date) or the Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938 (Amendment) Act, 2015 or Nominees under Section 39 of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 or proved Legal Representatives or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the estate payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable</p>
<p>प्रीमियम किस अवधि तक देय Period during which premium payable</p>	<p>अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि या नीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the life assured.</p>
<p>प्रीमियम देय होने की तिथि Dates when premium payable</p>	<p>निर्धारित देय तिथि ..... के On the stipulated due date in ..... <b>Every Month</b></p>

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर फॉलिंसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाते चाहिए।

Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date: 29 JUN 2015 29/06/2015

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म नं. / Form No.: 834

~~Clauses:~~

एजेन्सी कोड  
Agency Code

एजेंसी का नाम  
Agency Name

एजेंट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर  
Agent's Mobile Number/Landline Number

02653637 CHAYA N BHAJANTRI